न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारीः— लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 244 / 2021

युनियन बैंक ऑफ इण्डिया, तिरूपति काम्प्लेक्स, गुढागौडजी, जिला झुंझुनूं, पिन कोड 333022
—— प्रार्थी बैंक

बनाम

1. मैसर्स श्री श्याम रेडीमेड के जरीये प्रोपराईटर श्री मुकेश कुमार सैनी पुत्र श्री प्रभुदयाल सैनी पता— दुकान नं0 119, तिरूपती कॉम्पलेक्स, गुढागोरजी, तह0 उदयपुरवाटी झुंझुनूं 333022
पता :— वार्ड नं. 01, जोगीयो वाला कुआ, तह. उदयपुरवाटी झुझुनू 333307
2. श्री संजय कुमार पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार प्रसाद, पता— गॉव दुधीया, तह0 उदयपुरवाटी झुझुनू 333022

—— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र सिक्यूरिटाईजेशन एक्ट 2002 (वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रर्वतन अधिनियम 2002 (The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Socurity Interest, Act 2002) की धारा 14 के अन्तर्गत ऋणी / जमानती से बैंक सिक्यूरिटी एवं सिक्यूरिटी से संबंधित दस्तावेज का कब्जा लेकर बैंक को सुपुर्द कराने के बाबत।

——

उपस्थितः—

1. श्री मनोज वर्मा, एडवोकट — प्रार्थी बैंक की ओर से।
2. श्री लोकेश कुमार सैनी, एडवोकेट— अप्रार्थी सं0 1 की ओर से आज उपस्थित नही।
3. अप्रार्थी सं0 2 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक 02.05.2022

प्रार्थी युनियन बैंक ऑफ इण्डिया के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि बेक ने ऋणी मैसर्स श्रीश्याम रेडीमेड के जरीये प्रोपराईटर श्री मुकेश कुमार सैनी पुत्र श्री प्रभुदयाल सैनी पता— दुकान नं0 119, तिरूपती कॉम्पलेक्स, गुढागोरजी, तह0 उदयपुरवाटी झुंझुनूं 333022 को दिनांक 21.05.2015 को रूपये 9,50,000 / — की ऋण सुविधा स्वीकृत की थी। उक्त ऋण राशि निम्न प्रतिभूति से रक्षित है बंधक अचल व्यावसायिक सम्पती दुकान नं0 119, प्रथम तल, तिरूपति कॉम्पलेक्स, [illegible] 1795 / 700, 1797 / 1371, टोडी, गुढागोरजी तह0 उदयपुरवाटी झुंझुनूं जि[illegible] अदाएगी हेतु ऋणी ने आवश्यक दस्तावेज निस्पादित किए थे। ऋण पर ब्याज [illegible] अतिरिक्त ब्याज करार की शर्तो के अनुसार देय है। ऋणी द्वारा ब्याज एवं [illegible] फल रहने पर उन[illegible] दिनांक 21.01.2019 को (एन0पी0ए0) NPA वर्गीकृत किया गया था। बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने दिनांक 20.02.2020 को मांग नोटिस सिक्यूरिटाइजेशन एक्ट 2002 (वित्तीय आस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002) की धारा 13(2) के

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.05.09 15:30:28 IST
Reason: SelfAttested

अन्तर्गत दिया था जिसमें 60 दिवस में 11,63,682.45 रूपये एवं दिनांक 19.02.2020 तक ब्याज मांग की थी। ऋणी/जमानतदार 60 दिवस में उल्लेखित राशि अदा करने में असफल रहे है। बैक को उक्त बकाया राशि (ब्याज व खर्चे अतिरिक्त) ऋणी/जमानतदार से वसूल करना है। बकाया राशि को वसूल करने हेतु प्रतिभूति का भौतिक कब्जा लेकर विक्रय करना है। श्रीमान को सिक्यूरिटाईजेशन एक्ट 2002 (वित्तीय आस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभुति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002) की धारा 14 के अन्तर्गत प्रतिभूति सम्पत्ति को कब्जे या नियंत्रण में लेकर बैक को सुपूर्द करने के अधिकार प्राप्त है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलवाने की कृपा करे जिससे उक्त अधिनियम के प्रावधान अनुसार 11,63,682.45 रूपये एवं दिनांक 19.02.2020 के बाद का ब्याज व बकाया राशि की वसूली सम्पत्ति को विक्रय करके की जा सके।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी बैंक का ऋण नही चुकाया गया है। अप्रार्थी को प्रार्थी बैंक द्वारा नियमानुसार एन0पी0ए0 घोषित किया जा चुका है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को प्रतिभूति सम्पत्ति का कब्जा दिलवाये जाने का निवेदन किया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार कर उपरोक्त गिरवीकृत अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा बैंक को दिलवाया जावे जिससे अधिनियम के प्रावधानुसार सम्पत्ति को बेचकर बकाया ऋण की वसूली की जा सके।

अप्रार्थी सं0 1 के वकील को बार–बार आवाज लगाई गई। अप्रार्थी सं0 2 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित। अप्रार्थी सं0 1 व 2 की अनुपस्थिति मे इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर बहस सुनी गई।

हमने प्रार्थी युनियन बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व इस प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहें है व प्रार्थी युनियन बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा अप्रार्थी/गारन्टर को अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी युनियन बैंक ऑफ इण्डिया की ऋण राशि का भुगतान नही किया गया है।

पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहें है व प्रार्थी युनियन बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा अप्रार्थी/गारन्टर को अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी युनियन बैंक ऑफ इण्डिया की ऋण राशि का भुगतान नही किया गया है। पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थी ने प्रार्थी युनियन बैंक ऑफ इण्डिया के साथ हुये अनुबन्ध के अनुसार ऋण राशि को चुकाने में विफल रहें है। अतः अप्रार्थीगण/ऋणी, गारन्टर को व्यक्तिक्रमी मानते हुये प्रार्थी युनियन बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा प्रश्नगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाइनेन्शियल एसेटस एण्ड एनफोंसमेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 14 के तहत प्रद्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बंधक रखी गई श्री मुकेश कुमार सैनी के मालिकाना हक की बंधक अचल व्यावसायिक सम्पती दुकान नं0 119, प्रथम तल, तिरूपति कॉम्पलेक्स, खसरा नं0 1795/700, 1797/1371, टोडी, गुढागोरजी तह0 उदयपुरवाटी झुंझुनूं मे स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 450.46 वर्ग मीटर का पजेशन प्रार्थी युनियन बैंक ऑफ इण्डिया को जरिये संबंधित पुलिस थाना की इमदाद से प्राप्त किये

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.05.09 15:30:28 IST
Reason: SelfAttested

जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि प्रार्थी युनियन बैंक ऑफ इण्डिया के खर्चे पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध करावें।

आदेश आज दिनांक 02.05.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.05.09 15:30:28 IST
Reason: SelfAttested